नर्मदा नदी से संबधित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनायें

नर्मदा प्रदूषण उपशमन समिति द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाई गई रणनीति के आधार पर ये जानकारी भी एकत्रित की गई कि ऐसी कितनी परियोजनायें हैं जो नर्मदा के पर्यावरण को सुधारने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर बनाकर वित्तीय स्वीकृति के लिये संबंधित सक्षम विभागों को भेजी गई हैं

ओंकारेश्वर में नर्मदा में मिलता नगरीय दूषित जल

। ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये भी संबंधित विभागों को बोर्ड की ओर से सलाह दी जा रही है ताकि ऐसी महत्वपूर्ण योजनायें यथासम्भव शीघ्र शुरू की जा सकें । प्रथम चरण के उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ योजनायें निम्नानुसार पाई गई हैं:

प्रस्तावित योजनायें :

ओंकारेश्वर जल-मल शोधन योजना:

सीएमओ, नगर पंचायत, ओंकारेश्वर द्वारा नर्मदा प्रदूषण उपशमन समिति को ओंकारेश्वर के एनएचडीसी के सभाकक्ष में आयोजित बैठक

नगरीय दूषित जल के साथ बहता ठोस अपशिष्ठ

में जानकारी दी गई कि ओंकारेश्वर के ऐसी सीवेज लाईनें जो सीधे अनुपचारित सीवेज को नर्मदा नदी में मिलाती है, के इंटरसेप्शन-डायवर्सन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना से संबंधित कार्य योजना आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैयार की गई जिसकी लागत रूपये 408 लाख बताई गई है ।

इस योजना का प्रस्तुतीकरण म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के सभागृह में दिनांक 9.5.2011 को किया गया था जिसमें बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे । निरीक्षण के दौरान प्रस्तुतकर्ता विशेषज्ञ संस्था

नर्मदा नदी में स्नान घाट के पहले मिलता नगरीय दूषित जल

मैसर्स वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कन्सलटैंट प्रा0लि0 भोपाल को परियोजना के तकनीकी बिन्दुओं में सुधार करने की सलाह दी गई थी । उल्लेखनीय है कि यह परियोजना मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2003 में बनाई गई परियोजना के आधार पर सुधार योग्य पाई गई थी । सीएमओ, ओंकारेश्वर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि परियोजना में आवश्यक सुधार करा लिया जायेगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ओंकारेश्वर द्वारा बताया गया है कि उक्त योजना पर स्वीकृति उपरांत कार्यवाही मार्च 2012 तक पूर्ण की जा सकेगी ।

सीवेज सलेज यूटिलाईजेशन योजना, ओंकारेश्वर :

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2003 में स्वप्रेरणा से नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर क्षेत्र के पर्यावरणीय उन्नयन हेतु एक परियोजना मैसर्स एन्वायरमेंटल इन्जीनियरिंग सर्विसेस, इन्दौर के माध्यम से राशि रूपये 3.00 करोड की लागत से एक योजना तैयार कराई गई थी । परियोजना प्रतिवेदन बनाने संबंधी राशि रूपये लगभग 3.00 लाख का व्यय बोर्ड बजट से किया गया था । परियोजना के प्रमुख बिन्दुओं में सीवेज का इन्टरसेप्शन-डायवर्सन के बाद करनाल पद्धति से दूषित जल के उपचार हेतु यूकेलिप्टस प्लान्टेशन का प्रस्ताव था । साथ ही क्षेत्र में श्रद्धालुओं के समय-समय पर एकत्रित होने से होने वाली जल-मल की समस्या के शोधन हेतु सुलभ शौचालय के निर्माण की भी प्रस्तावना की गई है।

इस परियोजना को वित्तीय स्वीकृति हेतु वर्ष 2003 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया था । योजना पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति अप्राप्त है ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि इस परियोजना में ओंकारेश्वर क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्याओं के अन्य बिन्दुओं को

जोड़ते हुये विस्तृत डीपीआर बनाई जाना चाहिये इसके लिये राज्य शासन की ओर से राशि रूपये 10.00 लाख की स्वीकृति की जाये । योजना के स्वीकृत होने पर इसमें आने वाले व्यय की स्वीकृति भी राज्य शासन के बजट से दी जा सकती है अथवा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग से वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया जा सकता है ।

अमरकंटक जल-मल शोधन योजना

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत अमरकंटक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पत्र कमांक 1680 दिनांक 16.12.

नर्मदा का कच्चा किनारा

2010 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अमरकंटक के जल-मल संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु योजना तैयार कर प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है । योजना की लागत राशि रूपये 568 लाख है। इसके अतिरिक्त मान्नीय मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अमरकंटक में 03 सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

उक्त परियोजना की वित्तीय स्वीकृति हेतु म. प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पृथक से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र लिखा जा रहा है कि नर्मदा शुद्धीकरण के लिये इस योजना पर स्वीकृति म.प्र.शासन से अपेक्षित है ।

होशंगाबाद जल-मल शोधन योजना

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, होंशगाबाद द्वारा नर्मदा प्रदूषण उपशमन समिति के निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरे के समय आयोजित बैठक दिनांक 2 जुलाई 2011 को समिति के सदस्यों को बताया गया कि नर्मदा नदी में सीधे मिलने वाले नालों के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्सन के लिये बनाई गई योजना के अनुसार पम्प एवं सम्प वैल की स्थापना कर डायवर्सन की कार्यवाही तो प्रारम्भ कर दी गई है परन्तु डायवर्सन के उपरांत सीवेज के ट्रीटमेंट के लिये बनाई गई योजना की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है ।

नर्मदा प्रदूषण उपशमन समिति द्वारा किये

गये निरीक्षण/सर्वेक्षण में प्रदूषण की स्थिति होशंगाबाद के घाटों पर पाई गई है जिसमें कोरी घाट पर मिलने वाले नाले के डायवर्सन के लिये बनाये गये सम्प एवं पम्प हाउस को बन्द रखा गया था जिसके लिये बोर्ड द्वारा सीएमओ होशंगाबाद को नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड का ऐसा मानना है कि होशंगाबाद में मिलने वाले सीवेज के नालों से प्रदूषण नियंत्रण के लिये इस योजना को पुनरीक्षित कर वर्तमान की सभी पर्यावरणीय समस्याओं को इसमें शामिल किया जाये ।

उक्त परियोजना की वित्तीय स्वीकृति हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पृथक से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र लिखा जा रहा है कि नर्मदा शुद्धीकरण के लिये इस योजना पर स्वीकृति म.प्र.शासन से अपेक्षित है ।

पूर्व योजनायें :

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जबलपुर

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की 7 नदियों के किनारे बसे 11 शहरों के पर्यावरण उन्नयन की योजनायें स्वीकृत की थीं । इनमें नर्मदा नदी से संबंधित जबलपुर की योजनाओं के अन्तर्गत घाटों के विकास, सामुदायिक शौचलायों का निर्माण, शवदाहगृह का निर्माण एवं वृक्षारोपण संबंधी कार्य वर्ष 2003-2004 तक लगभग रूपये 120 लाख के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना होशंगाबाद

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, (एप्को) भोपाल के पत्र क्रमांक 1687 दिनांक 28.06.2011 अनुसार राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा होशंगाबाद शहर में नर्मदा नदी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु राशि रूपये 12.99 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है जिस पर कार्यवाही एप्को द्वारा सम्पादित करवाई जा रही है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण :

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा नदी पर मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है । इसविभाग से मॉनीटरिंग की जानकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य शासन को लिखा जा सकता है ताकि नदी की जल गुणवत्ता के आधार पर पर्यावरण से संबंधित योजनाओं को बनाये जाने में सहायता मिल सके ।

नर्मदा प्रदूषण शमन योजना के अन्तर्गत दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, द्वारा स्वेच्छा से बोर्ड के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है । समिति को दिये गये टीओआर में विशेषकर नर्मदा नदी के सभी घाटों का निरीक्षण/सर्वेक्षण व संबंधित जिला कलेक्टर, नगरीय निकाय व अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर घाटों की पर्यावरणीय समस्या को समझना तथा उसके सापेक्ष शॉर्ट टर्म योजना के अन्तर्गत उपायों को मार्च 2012 के पूर्व यथासम्भव लागू कराना है ।

जन-जागृति हेतु किनारे पर लिखवाई गई सूचना

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्तमान तथा पूर्व में नर्मदा नदी के पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में लागू योजनाओं की भी समीक्षा की गई है जिसमें संबंधित विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नर्मदा प्रदूषण शमन समिति द्वारा अभी तक किये गये कार्यों व उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

- बोर्ड द्वारा जल अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत ओंकारेश्वर को दिनांक 12.7.2011 को नदी में सीवेज मिलने के लिये नोटिस दिया गया।
- नगर पंचायत द्वारा तत्काल सीवेज नालियों के इंटरसेप्शन-डायवर्सन की योजना बनाकर भोपाल स्वीकृति हेतु भेजी गई है, कार्यवाही मार्च 2012 तक पूर्ण हो सकेगी ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, ओंकारेश्वर को निर्देश देकर पूजा निरमाल्य व नगरीय ठोस अपशिष्ठ को 7 दिवस की अवधि में उठाकर व्यवस्थित अपवहन करवाया गया ।
- एनएचडीसी को निर्देश दिये गये कि वे मंदिर के सामने व घाट के सामने जल के प्राकृतिक प्रवाह को बनाये रखने के लिये आवश्यकतानुसार गेट खोलना सुनिश्चित करें । एनएचडीसी द्वारा बताया गया कि महेश्वर

के हायडल पावर प्लान्ट के प्रारम्भ हो जाने के बाद घाट तक बेक वाटर उपलब्ध हो सकेगा जिससे जल गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा ।

- एनएचडीसी को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम की धारा 33 क के अन्तर्गत राशि रूपये 50.00 लाख की बैंक गारन्टी के साथ मलवे को हटाने की समयबद्ध कार्ययोजना जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।
- इस संबंध में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के दल के द्वारा बरसात के बाद नवम्बर माह में निरीक्षण भी किया जाना है ।
- क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर के माध्यम से ओंकारेश्वर के गोमुख एवं मंदिर घाट की दीवालों पर वाल पेंटिंग व होर्डिंग के माध्यम से 100 स्थानों पर जन-जागृति व जन-चेतना के लिये नदी को स्वच्छ रखने की सलाह व गंदा न करने की विधिक चेतावनी संदेश लिखवाये गये हैं ।
- नगर पंचायत ओंकारेश्वर के सीएमओ श्री सिकरवार द्वारा वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कन्सलटेंट प्रा0लि0 भोपाल के माध्यम से राशि रूपये 4.08 करोड की पर्यावरण उन्नयन की योजना बनाई गई है ।
- म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 में कन्सलटेंट के माध्यम से ओंकारेश्वर के प्रदूषण नियंत्रण के लिये राशि रूपये 3.00 करोड की एक योजना बनाई थी जिसे भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिस पर स्वीकृति अप्राप्त है ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नंगर पंचायत ओंकारेश्वर द्वारा अवगत कराया कि विभाग द्वारा मंदिर तथा आस-पास के क्षेत्र में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है ।
- नगर पंचायत ओंकारेश्वर की ओर से तथा एनएचडीसी के सहयोग से 5 वालिंटियर्स की घाटों पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई जो नदी में गंदगी फैलाने वालों को विसिल बजाकर चेतावनी देते हैं व श्रद्धालुओं को कपड़े धोने की वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं जो

नर्मदा नदी की स्वच्छता हेतु लगाये गए संसूचनायें

घाटों से दूर बनाई गई है ।

- मैसर्स एसोसिएटेड डिस्टलरी द्वारा 3 स्तर का दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है व उपचारित निस्राव का परिसर में उपयोग कर शून्य निस्राव का सतत् पालन किया जाता है। वर्तमान में आधुनिकतम टरशरी स्तर के उपचार व्यवस्था के रूप में आर.ओ.प्लान्ट की स्थापना कराई गई है व उद्योग में मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर की स्थापना हेतु निर्देश दिये गये हैं जो एक वर्ष की अवधि में स्थापित किया जा सकेगा । उक्त कार्य पूर्ण करने के लिये बोर्ड में राशि रूपये 15 लाख व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में राशि रूपये 50 लाख की बैंक गारन्टी जमा कराई गई है ।
- मैसर्स अग्रवाल डिस्टलरी एक छोटी आसवनी इकाई है जो वर्ष में बहुत कम दिन उत्पादनरत रहती है । उद्योग द्वारा सतत शून्य निस्राव का पालन किया जाता है, उद्योग में 3 स्तर का दूषित जल उपचार संयंत्र लगाया गया है। वर्तमान में उद्योग को आधुनिकतम टरशरी स्तर के उपचार हेतु आर.ओ. प्लान्ट एवं एमईई व ड्रायर की स्थापना करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके लिये 15 लाख रूपये की बैंक गारन्टी लेकर एक वर्ष का समय दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गुण-दोष के आधार पर उद्योग के विरूद्ध समय-समय पर कार्यवाहियाँ की गई हैं ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी होशंगाबाद को स्थल पर निर्देश दिये गये कि घाट पर फैले पूजा निरमाल्य, मुण्डन के बाल, नगरीय ठोस अपशिष्ठ को 7 दिवस की अवधि में अभियान चलाकर साफ करवायें ।

- सीवेज नाले का कोरी घाट पर डायवर्सन के लिये बनाये गये सम्प एवं पम्प की व्यवस्था के माध्यम से तुरन्त नाले का डायवर्सन शुरू करें ।
- प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करने के लिये समयबद्ध कार्य योजना बनाकर म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करें। कार्य को समय पर पूरा करने के कमिटमेंट के रूप में बैंक गारन्टी भी प्रस्तुत की जाये ।
- घाटों में होने वाली प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकने के लिये निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाये व निगरानी करने वाले कर्मचारियों द्वारा कोताही बरतने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये ।
- घाटों पर विशेष त्यौहारों के दौरान योजना बनाकर कार्यवाही की जाये जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, पण्डितों व पर्यावरणीय विशेषज्ञों से भी सलाह लेकर योजना को सख्ती से लागू किया जाये ।
- घाटों पर ओपन डेफीकेशन रोकने के लिये सुलभ शौचालय की उपयुक्त संख्या व स्थान